महत्वपूर्ण

संख्या- 11 /2017/180/29-5-2017-5(1)/17

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1-आयुक्त
खाद्य तथा रसद विभाग
जवाहर भवन लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3- महाप्रबन्धक
भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय गोमतीनगर लखनऊ।

4- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक
उत्तर प्रदेश।

5- प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश प्रादेशिक को-ऑपरेटिव
संघ (पी0सी0एफ0)
32स्टेशनरोड लखनऊ।

6-प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु
निगम 17 गोखले मार्ग लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक
यू0पी0एग्रो 22विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

8- प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (पी0सी0यू0)

9-अधिशाषी निदेशक
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी
कल्याण निगम जवाहर भवन लखनऊ।

10- प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम
न्यू हैदराबाद लखनऊ।

11- क्षेत्रीय प्रबन्धक
केन्द्रीय भण्डारागार निगम
गोमती नगर लखनऊ।

12- शाखा प्रबन्धक
भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी
संघ मर्यादित (एन0सी0सी0एफ0) लखनऊ।

13- शाखा प्रबंधक
नेशनल एग्रीकल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग
फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (नैफेड)

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 **लखनऊ दिनांक 25 अप्रैल 2017**

विषयः- रबी विपणन वर्ष 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 31-3-2017 का प्रभावी अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

आप अवगत है कि प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत कृषकों से सीधे एवं पारदर्शी ढंग से त्वरित गेहूँ की खरीद सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-6/2017/139/29-5-2017-5(1)/17 दिनांक 31 मार्च, 2017 पूर्व में निर्गत किया जा चुका है जिसके अनुसार गेहूँ क्रय का कार्य दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से प्रारम्भ हो कर दिनांक 15 जून, 2017 तक किये जाने की व्यवस्था है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकाधिक लाभ दिये जाने के उदेश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये 80 लाख मी0 टन गेहूँ क्रय के कार्यकारी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृपया उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2017 का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही एवं गेहूँ क्रय की प्रगति से आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से शासन को समय-समय पर अवगत कराये।

भवदीय,

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 11 /2017/180 (1)/29-5-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल।
2- मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन वित्त / संस्थागत वित्त / सहकारिता / कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार/न्याय विभाग।
5- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या-4/2/1/2017-सी0एक्स0(1) दिनांक 06 अप्रैल, 2017 के सम्बन्ध में।
6- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
7- संयुक्त सचिव भारत सरकार, उपभोक्ता मामले नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
8- आंचलिक प्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम नई दिल्ली।
9- निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
10- आयुक्त वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
11- नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग 7 बालाकदर रोड लखनऊ।
12- निबन्धक सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ।
13- कृषि निदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
14- अपर आयुक्त (विपणन) खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह गेहूँ क्रय की प्रतिदिन की समेकित सूचना शासन को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रभावी अनुश्रवण किया जा सकें।
15- समस्त सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।
16- वित्त नियंत्रक/समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी,खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।
17- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।
18- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
19- निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
20- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
21- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0,लखनऊ

आज्ञा से

गया प्रसाद कमल
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in